



हिंदी का
वैश्विक परिदृश्य

**HINDI KA
VAISHVIK PARIDRISHYA**

डॉ. ए.सफराम्मा

Dr. A. SAFRAMMA


अनुक्रमणिका

क्र.	विषय-सूची	लेखक	पृ.
1	हिंदी: राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा और वैश्विक भाषा	प्रोफेसर एम. शाहुल हमीद	01
2	विश्व में हिंदी का स्थानमान	प्रो. डॉ. कांबले अशोक	08
3	वैश्वीकरण का परिदृश्य - पत्रकारिता / मीडिया के संदर्भ में	डॉ. शशी प्रभा जैन	12
4	हिंदी का वैश्विक परिदृश्य	डॉ. सेहलता शर्मा	15
5	हिंदी साहित्य के विकास में बाल- साहित्य का योगदान	डॉ. राजेश अग्रवाल	19
6	वैश्वीकरण और हिन्दी कहानी	डॉ. के. श्याम सुन्दर	23
7	विश्व लिपि के रूप में नागरी लिपि का महत्व	डॉ. राजलक्ष्मी कृष्णन	29
8	वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी	डॉ. के. विजयभास्कर नायडु	33
9	हिन्दी कविता-वैश्विक परिदृश्य- आम आदमी के संदर्भ में	डॉ. जे. सेन्दा मरै	36
10	विदेशी परिदृश्य में उषाप्रियंवदा के उपन्यास	डॉ. वी. पद्मावती	40
11	हिंदी गद्य साहित्य के विविध आयाम	डॉ. संजय प्रसाद श्रीवात्सव	46
12	हिंदी भाषा साहित्य के विकास में स्त्री लेखन का वैश्विक विस्तार	डॉ. सुषमा देवी	55
13	ब्रिटेन के ए.स.वि. की प्रतिक्रिया में हिन्दी के प्रगतिशील लेखन की अभिव्यक्ति	डॉ. माईराम	60
14	हिंदी चित्र और वैश्वीकरण	डॉ. शौरनी ब्यानर्जी & शाहीन मोकाशी	69
15	हिंदी गद्य विधा का वैश्विक स्तर पर महत्व	डॉ. शिवहर बिरादर	74
16	हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का वैश्विक परिदृश्य- एक विचार	डॉ. सी.पी. राजू	79

विश्व में हिंदी का स्थानमान

प्रो. डॉ. कांबले अशोक

पूर्व अध्यक्ष-हिंदी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग,
संप्रति-डीन (अध्ययन केंद्र)
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,
मैसूर.



विश्व में अनेक देश हैं। उन अलग-अलग अनेक देशों की अलग-अलग अनेक भाषाएँ हैं और ये भाषाएँ न केवल विचार-विनिमय का साधन ही होतीं अपितु संस्कृति की परिचायक भी होती हैं। कहा जाता है कि पूरे विश्व में 3500 से भी अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उन अलग-अलग अनेक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक धर्म, अनेक जाति-उपजातियाँ, अनेक राज्य, अनेक भाषाएँ, विभिन्न खान-पान, अलग-अलग, वेशभूषा, अलग-अलग रीति-रिवाज़, एक-दूसरे के विपरीत हवामान दृष्टिगोचर होता है। एक वाक्य में कहने का प्रयास करें तो कह सकते हैं कि भारत देश अनेकता में एकता को समाहित किया हुआ राष्ट्र है। विभिन्नता में अभिन्नता भारत वर्ष की विशेषता है। और यही विशेषता ऐसी प्रतीत होती है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास पक्ष में यह वरदान नहीं अभिशाप बन गयी है।

भारत में अनेक राज्य हैं ; अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग प्रांतीय भाषाएँ हैं। जैसे-कर्नाटक की कन्नड़, महाराष्ट्र की मराठी, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, केरल प्रांत की मलयालम, हरियाणा की हरियाणवी, पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की राजस्थानी आदि। इन भाषाओं में हिंदी की अपेक्षा द्रविड़ परिवार की भाषाएँ बहुत ही पुरानी मानी जाती हैं। फिर भी हिंदी भाषा ने अल्पावधि में ही अपनी प्रसिद्धि पाकर लगभग 1000-1100 वर्षों की अल्पावधि में ही अपनी ख्याति इतनी बढ़ा ली है जो कि प्रशंसनीय है। बोलनेवालों और समझनेवालों की संख्या भारत की कुल लोकसंख्या में से लगभग 70% से भी अधिक होगी। इसीलिए इसके महत्व से अवगत होकर ही परतंत्र भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतवर्ष को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने हेतु विभिन्न प्रांतों के देशप्रेमियों को इकट्ठा करने के लिए हिंदी भाषा की सहायता ली। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने इस हिंदी भाषा की आवश्यकता को ताड़कर ही दक्षिण भारत के तमिल नाडु में स्थित तत्कालीन मद्रास (संप्रति चेन्नई) में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की

स्थापना सन् 1927में करके हिंदी का प्रचार-प्रसार करने का दायित्व अपने सबसे छोटे पुत्र देविदास गाँधीजी को सौंपा। इनके द्वारा प्रशिक्षित होकर अनेक देशप्रेमियों ने भारत माता की हिंदी वाणी का दक्षिण भारत में प्रचार-प्रसार किया। फलस्वरूप हिंदी भाषा पूरे भारत वर्ष में फैल गयी और एक दिन सभी प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं सक्रिय प्रयास फलस्वरूप भारत देश को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली; भारत वर्ष आज़ाद बन गया।

हिंदी के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीजी ने सन् 1918 में इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के दौरान राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन करते हुए कहा था—“मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।”

हिंदी के महत्व को देखकर भारत के प्रथम प्रधान मंत्री परम आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा—“हिंदी एक जानदार भाषा है। वह जितनी बढ़ेगी, देश का उतना ही नाम होगा।” इसी भाँति स्वतंत्रता सेनानी सर्व श्री सी. राजगोपालाचारी सुभाषचंद्र बोस, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशवचंद्र सेन, राजाराम मोहन राय, आदि ने हिंदी भाषा के महत्व पर बल दिया। और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्थापित करने का अपना विशेष योगदान दिया।

सन् 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, इस सभा ने 14 सितंबर 1949 को एकमत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रपिता गाँधीजी ने भी 14 सितंबर 1949 को हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव का प्रचार-प्रसार करने हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के अनुरोध पर सन् 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष ‘हिंदी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

भारत वर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा का सार्थक स्थानमान प्रदान करने हेतु संविधान में हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 15 वर्षों का समय निर्धारित किया था। जो कि पूर्णतः सफल नहीं हो पाया जिसका राजनैतिक कारण है। भारत में कुल लोकसंख्या 130 करोड़ के आसपास मानी जाती है, जिसमें केवल 10% के आसपास की लोकसंख्या अंग्रेजी को जानती है और शेष 90% हिंदी को जानती है। इसी भाँति हिंदी का प्रचार-प्रसार जोरों पर होने के कारण पूरे विश्व में हिंदी भलिभाँति फैल गयी है।

चीनी भाषा के बाद पूरे विश्व स्तर पर सर्वाधिक बोली जानेवाली हिंदी, राजनीति का शिकार बनकर अपने ही देश में अपमानित होती-सी नजर आती है, जो कि देशवासियों के लिए शर्म की बात है।

विश्व में हिंदी भाषी हमें फ़िजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, संयुक्त अरब, पाकिस्तान, आदि देशों में प्राप्त होते हैं। फरवरी 2019 में अबूधाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली है। खेद की बात है कि चीनी भाषा के पश्चात् पूरे विश्व स्तर पर पढ़ी-लिखी और बोली जानेवाली हिंदी, अपने ही देश में वैमनस्य की शिकार हो गयी है।

2001 की भारतीय जनगणना के अनुसार 42 करोड़ 20 लाख से भी अधिक लोगों की मूल भाषा हिंदी है। विदेशों में जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 8,63,077, मॉरिशस में 6,85,170, दक्षिण अफ्रीका में 8,90,292, यमन में 2,32,760, युगांडा में 1,47,000, सिंगापुर में 5,000, नेपाल में 8 लाख, जर्मनी में 30,000 हैं। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में 14 करोड़ 10 लाख लोगों द्वारा बोली जानेवाली उर्दू मौखिक रूप से हिंदी के काफी समान है। विश्व में कई लोग हिंदी और उर्दू को समझते हैं जो कि एक दूसरे की शैली मान सकते हैं।

राज्य स्तर पर हिंदी भारत के बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की राजभाषा है जिसका प्रयोग अधिकृत रूप से सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। इस प्रकार हिंदी इन राज्यों की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी।

विश्व की भाषा बनने के सभी आवश्यक गुण हिंदी में विद्यमान हैं। जो अंग्रेजी के गुलाम हैं वे कहते हैं कि हिंदी में विज्ञान एवं तकनीकी के शब्दों का अभाव है— इस तरह कहते हुए हिंदी की प्रगति को कुंठित करते हैं; वास्तविकता तो यह है कि देवनागरी लिपि अर्थात् हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसी पढ़ी जाती है। अंग्रेजी जैसी इसमें लिखना एक और उच्चारण करना अलग जैसी अपवाद या दोष नहीं है।

हिंदी के महत्व को ध्यान में रखकर ही बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हिंदी का अंतराष्ट्रीय विकास बहुत ही तेजी से हुआ है। हिंदी एशिया के व्यापारिक जगत में धीरे-धीरे अपना अस्तित्व स्थापित कर रही है। वेब, विज्ञान, संगीत, सिनेमा, साहित्य और बाजार के क्षेत्र में हिंदी की माँग जिस तरह तेजी से बढ़ रही है वैसे किसी अन्य भाषा की नहीं। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों, तथा सैकड़ों छोटे-बड़े केंद्रों में विश्वविद्यालय स्तर से लेकर शोध स्तर तक हिंदी के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जा रही है।

अलग-अलग देशों में 25 से भी अधिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रायः नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही हैं।

बीबीसी, जर्मनी, जापान, चीना आदि के रेडियो एवं दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम उल्लेखनीय होते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सन् 2016 के दिसंबर में 10 सर्वाधिक शक्तिशाली (प्रधान) विश्व की भाषाओं की सूची में हिंदी भाषा ने अपना स्थान प्राप्त किया है। इसी भाँति 'कोर लैंग्वेज' नामक साइट ने विश्व की अति महत्वपूर्ण भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। के-इंटरनेशनल ने भी सन 2017 के लिए सीखने योग्य विश्व की सर्वाधिक उपयोगी 9 भाषाओं में हिंदी को स्थान दिया है। हिंदी भाषा की महत्ता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र रेडियो ने अपना प्रसारण हिंदी में भी करना शुरू किया है। इस तरह वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के महत्व को ध्यान में रखकर ही हिंदी सम्मेलनों के आयोजन की माँग अलग-अलग देशों में की जा रही है। भविष्य में हिंदी का उज्वल भविष्य है। हिंदी भाषा की इस शीघ्र प्रगति को देखकर कह सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा हिंदी विश्व स्तर पर अपना प्रथम स्थान प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होगी। बशर्ते अपने देशवासियों को राष्ट्रप्रेम के प्रतीक में हिंदी का प्रचार-प्रसार, मान-सम्मान प्रदान कर उसे विकसित करने में अपना योगदान दें।

साभार - विकिपीडिया तथा अन्य स्रोत

ISBN : 978-93-83813-31-5

भारतीय साहित्य का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य



प्रधान संपादक

• डॉ. एस. टी. मेरवाडे • डॉ. एस. एस. तेरदाल

सह संपादक

• डॉ. एस. जे. पवार • डॉ. एस. जे. जहागीरदार

अनुक्रमणिका

1. भारतीय साहित्य का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य : विविध आयाम
● प्रो. ऋषभदेव शर्मा 1
2. कन्नड़ साहित्य का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
● डॉ. टी. जी. प्रभाशंकर 'प्रेमी' 8
3. मराठी नाटक की विकास यात्रा
● प्रो. प्रतिभा मुदलियार 19
4. कोंकणी कहानी साहित्य: नारी एवं वृद्ध विमर्श के सन्दर्भ में
● प्रो. प्रभा भट्ट 32
5. भारतीय साहित्य में तेलुगु साहित्य का योगदान
● डॉ. पठान रहीम खान 42
6. भारतीय साहित्य का अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य :
तमिल के विशेष संदर्भ में
● डॉ. गुर्रमकोंडा नीरजा 50
7. भारतीय साहित्य को गुजराती उपन्यास साहित्य का योगदान
● डॉ. ए. डी. चावडा 56
9. 20 वीं सदी की प्रमुख कहानियों में आदिवासी समूह का
सामाजिक संघर्ष
● प्रो. एस्. के. पवार 65
10. हिंदी दलित साहित्य का प्रेरणास्रोत
● प्रो. कांबले अशोक 72
11. कर्नाटक में हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता
● डॉ. एस. टी. मेरवाडे 78

हिंदी दलित साहित्य का प्रेरणास्रोत

• प्रो. कांबले अशोक

संसार में सभी प्राणियों में श्रेष्ठ और विवेकशील यदि कोई प्राणी है तो वह है मानव। इसीलिए तो विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार करके आकाश में उड़ाना, कोसों दूर पानी में कई दिन-रात यात्रा करना; जंगल, नदी, पहाड़ गुफाओं आदि से गुजरते हुए मुखद यात्रा करने में मानव सफल हुआ है। इसी भाँति शक्तिशाली एवं खूँखार अनेक जंगली प्राणियों पर भी अपनी विजय पताका फहराने में मनुष्य यशस्वी हो पाया है। अनेक भाषाओं का निर्माण किया है; अनेक ऐसी वस्तुओं का निर्माण मनुष्य ने किया है। यह सबकुछ मनुष्य के विवेक तथा शक्ति का द्योतक है। जिस प्रकार विवेकी तथा चालाक मनुष्य ने मंद बुद्धि एवं शक्तिशाली खूँखार प्राणियों को अपने वश में किया उसी प्रकार मंद बुद्धि तथा अबलाओं को अपने वश में करके उनका शोषण करना आरंभ किया। आगे इस चालाक एवं धूर्त मनुष्य समुदाय ने अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु समग्र मनुष्य जाति का ही उच्च वर्ग एवं निम्न वर्ग के रूप में विभाजन किया।

समाज में व्याप्त आलसी, ढोंगी, धूर्त तथा चालाक मानव समुदाय को उच्चवर्ग या स्वर्ण कहा जाने लगा और श्रमजीवी, ईमानदार तथा भोले मानव समुदाय को निम्न वर्ग या दलित अथवा अछूत संज्ञा से अभिहित करके उनका कई सदियों से खूब शोषण किया जाने लगा।

स्वार्थी मनुष्यों (सवर्णों) द्वारा किये जाने वाला अमानुषीय शोषण महामानवतावादी एवं अहिंसावादी महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा बसवेश्वर, संत तुकाराम महाराज, समाज सुधारक तथा क्रांतिकारी संत कबीर, मानवतावादी

महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहु महाराज, युगपुरुष-संविधान शिल्पि 'भारत रत्न' डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकरजी जैसे कई महा चेतनाओं के लिए असहनीय था। अतः ऐसे महान युग पुरुषों ने अमानुषीय बर्ताव करने वाले सवर्णों का डटकर विरोध करके जाति निर्मूलन कर मानवतावाद के विचार का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास किया है। इन महात्माओं के विचारों को दलित साहित्य का प्रेरणास्रोत कहने में अन्योक्ति नहीं होगी। अतः कह सकते हैं कि डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी एवं गौरवपूर्ण जीवन पर आधारित विचारों से युक्त साहित्य-सृजन ही दलित साहित्य है। अर्थात् दलित साहित्य जन साहित्य है, जिसे अंग्रेजी में 'Mass Literature' ही नहीं अपितु 'Literature of action' भी कहा जाता है। जो मानवीय मूल्यों की भूमिका पर सामन्ती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोश जनित संघर्ष है, इसी संघर्ष और विद्रोह से निर्मित है- 'दलित साहित्य'।

'दलित' का शाब्दिक अर्थ- शोषित, दमित, रौंदा हुआ, कुचला हुआ, दबाया हुआ, पददलित, पीड़ित आदि है। माता प्रसाद ने अपनी पुस्तक- 'हिंदी काव्य में दलित काव्यधारा' में 'दलित' शब्द- चांडाल, अस्पृश्य या अछूत बताया है। उपेक्षित, अपमानित, उत्पीड़ित, प्रताड़ित, गुलाम आदि शब्द भी 'दलित' के समानार्थक माने जाते हैं।

महात्मा गाँधी जी ने 'दलितों' को 'हरिजन' कहा जो कि कानून विद्व डॉ. अंबेडकर जी को स्वीकार्य नहीं था; क्योंकि वे 'हरिजन' शब्द को गाली में मानते थे। जिसका अर्थ देवदासी के बच्चे होता है। अंबेडकर जी की आपत्ति थी कि यदि दलित हरिजन अर्थात् भगवान के बच्चे हैं तो सवर्ण क्या राक्षस के बच्चे हैं? या किसी और के? उनका मानना था कि हम सब अपने-अपने माता-पिता के बच्चे हैं, न कि हरि अर्थात् भगवान के।

हिंदी के प्रसिद्ध दलित विचारक डॉ. श्यौराज सिंह 'बेचैन' के अनुसार- "दलित" वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है।"

हिंदी के लोकप्रसिद्ध दलित चिंतक कँवल भारती जी कहते हैं- "दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है जिसे कठोर और गंदे कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र

व्यवसाय करने से मना किया गया और जिस पर सख्तों ने सामाजिक नियोग्यताओं की संहिता लागू की वही और वही दलित है और इसके अंतर्गत वही जातियाँ आती हैं जिन्हें अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है।”

विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के विवेचनोपरांत इसनिष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ‘दलित’ शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो समाज व्यवस्था के अनुसार सबसेनिम्न माना जाता है और वर्ण-व्यवस्था ने जिसे अछूत कहकर शोषण किया है। दूसरे शब्दों में- संविधान ने जिन्हें अनुसूचित जातियों कहा है जो अस्पृश्य मानी जाती हैं, उन्हें दलित कहते हैं।

दलित साहित्य

दलित चिंतक कँवल भारती के अनुसार “दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें ‘दलितों’ ने स्वयं अपनी पीड़ा को रूपायित किया है। अपने जीवन-संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उनकी उसी अभिव्यक्ति का साहित्य है। यह कला के लिए कला नहीं बल्कि जीवन का और जीवन की जिजीविषा का साहित्य है। इसीलिए कहना न होगा कि वास्तव में “दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है।”

दलित साहित्य केवल जन साहित्य अर्थात् 'Mass Literature' ही नहीं कहलाता बल्कि 'Literature of action' भी कहलाता है, मानवीय मूल्यों की भूमिका पर सामंती मानसिकता के विरुद्ध आक्रोश जनित संघर्ष है, इसी संघर्ष और विद्रोह से जन्मा है ‘दलित साहित्य’।

हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव जी ‘दलित शब्द को व्यापक अर्थ में देखते हुए स्त्रियों को भी दलित की श्रेणी में रखते हैं, पिछड़ी जन-जातियों को भी दलित मानते हैं। हिंदी के लोक प्रसिद्ध दलित चिंतक डॉ. श्यौराज सिंह बेचैन राजेंद्र यादव जी के विचार से असहमत होते हुए कहते हैं- “इससे साहित्य में सही स्थिति सामने नहीं आती। दलित साहित्य उन अछूतों का साहित्य है जिन्हे सामाजिक स्तर पर सम्मान मिला। सामाजिक स्तर पर जातिभेद के जो लोग शिकार हुए हैं, उनकी छटपटाहट शब्दबद्ध होकर दलित साहित्य बन रही है।”

प्रसिद्ध दलित विचारक बाबूराव बागुल ‘दलित साहित्य’ को परिभाषित करते हुए कहते हैं- “मनुष्य की मुक्ति को स्वीकार करने वाला, मनुष्य को महान मानने वाला, वंश, वर्ण और जाति श्रेष्ठत्व का प्रबल विरोध करनेवाला साहित्य ही दलित साहित्य है।”

इन उपरोक्त परिभाषाओं का विवेचन करने से ज्ञात होता है कि ‘दलित साहित्य’ अर्थात् पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित, अस्पृश्य आदि पर लिखा साहित्य जो विरोध और नकार की ओर संकेत करता है। वह नकार या विरोध चाहे रूढ़ी-परंपरा का हो अथवा सामाजिक विसंगतियों का; आर्थिक विषमताओं का हो अथवा साहित्यिक मान्यताओं का; दलित साहित्य नकार या प्रतिकार का साहित्य है जो विद्रोह से जन्मा है जिससे समता, स्वतंत्रता, मानवता एवं बंधुता आदि का विचार प्रकट होता है और मनुवाद से निसृत वर्णव्यवस्था तथा जातिवाद जैसे नीच तथा अमानवीय आचार-विचारों का निर्भोकता से खंडन होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दलित साहित्य सामाजिक परिवर्तन चाहता है जो केवल राष्ट्रवाद, मानवतावाद एवं बंधुत्व की भावना को अपेक्षित करता है जिसका मूल प्रेरणास्रोत महामानवतावादी क्रांतिकारी, शिक्षाविद्, अर्थशास्त्रज्ञ, राष्ट्रप्रेमी, कानूनविद् संविधान शिल्पी, जातिवाद का निर्मूलन कर्ता युगपुरुष, विश्वरत्न डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा है।

दलित साहित्य के विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि दलित के जीवन से संबंधित साहित्य चाहे दलित साहित्यकार द्वारा लिखा जाए अथवा दलितेतर साहित्यकार द्वारा वह दलित साहित्य है। इस परिभाषा पर यदि गहराई से चिंतन करें तो प्रतीत होता है कि दलित साहित्य के दो भेद हैं, और वे हैं-

1. सहानुभूतिवाला दलित साहित्य और
2. स्वानुभूतिवाला दलित साहित्य।

दलितेतर साहित्यकार द्वारा भले ही दलित जीवन पर अथवा उनकी संस्कृति या स्थानमान आदि पर साहित्य सृजन किया गया हो, वह दलित साहित्य न कहलाकर वह सहानुभूति पूर्ण दलित साहित्य मात्र कहलाएगा।

दलित साहित्यकार द्वारा दलितों की यथा स्थिति का चित्रण जिसमें किया जाता हो; दलितों की समस्याओं का समाधान करने के संकेत जिसमें दिये जाते हों, उसे दलित साहित्य कहते हैं।

दलित साहित्यकार अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से करता है जिससे कि यथार्थता अधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होती है। दलित जीवन में आविर्भूत समस्याओं के निर्मूलन के उपाय जिसमें परिलक्षित होते हैं, वह स्वानुभूति परक दलित साहित्य की श्रेणी में आ जाएगा।

दलित साहित्य का मूल उद्देश्य दलित समाज को जागृत करके शोषण, अन्याय, अत्याचार, जात-पाँत, अंधविश्वास, अमानवीय बर्ताव आदि दुष्कृत्यों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करके समाज एवं संसार में गौरवमय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना है। मनुष्य में मनुष्य की भावना या हम किसी से कम नहीं की भावना जागृत कर सिर ऊँचा कर जीना सिखाना; विश्व रत्न डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्श को सामने रखकर, दलित समाज को जीवन यापन करना सिखाना दलित का मूल उद्देश्य है।

वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों का शोषण करने सिखानेवाले, अंधविश्वास का पालन करने सिखाने वाले, स्वार्थ सिद्धि हेतु दलितों का शोषण करने सिखाने वाले, मनुष्य, मनुष्य के साथ अमानुषीय बर्ताव करने सिखानेवाले 'मनुस्मृति' का दहन विश्व रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 25-12-1927 को किया। समाज में समान अधिकार प्रदान करने हेतु; अज्ञान तथा अंधविश्वास का समूल निर्मूलन करने हेतु शिक्षा का सूअवसर सभी को प्राप्त होने हेतु, अबलाओं एवं दलितों पर होनेवाले शोषण एवं अत्याचार को रोकने हेतु, मानव अधिकार की रक्षा करने हेतु; देश में स्थित अराजकता को दूर करके सूव्यवस्था तथा शांति प्रस्थापित करने हेतु; सर्वधर्मियों का स्वीकार्य भारत देश का संविधान निर्माण किया। आदर्श भारत की स्थापना करने के उद्देश्य से देश के प्रति बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपना जीवन ही समर्पित किया।

डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की फलश्रुति है कि चाय बेचनेवाला व्यक्ति भी देश का प्रधान मंत्री बन सकता है, अबला समझी जानेवाली नारी भी देश की प्रधान मंत्री ही नहीं राष्ट्रपति भी बन सकती है।

सामान्य जन मानस को निडरता एवं गौरवपूर्ण जीवन यापन करने का समान अधिकार डॉ. अंबेडकर ने अपने संविधान द्वारा प्रदान किया है। स्पष्ट होता है कि अधिकारी या मंत्री बनने के लिए जाति या धर्म महत्वपूर्ण नहीं उसकी योग्यता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार अंबेडकर ने मानवतावाद का प्रचार-प्रसार करके आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दिया है।

निष्कर्ष

दलित साहित्य चाहता है कि दलितों को जागृत करें; उनके होनेवाले शोषण से अवगत करके प्रतिकार के लिए तैयार करें और डॉ. अंबेडकर के आदर्श सम्मुख रखकर गौरवपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए समाज सीखें। इस तरह दलित साहित्य सृजन का मूल प्रेरणा स्रोत अंबेडकर की विचारधारा है। युगसृष्टा एवं युगदृष्टा डा. भीमराव अंबेडकर जी की धर्मनिरपेक्षता एवं उनके मानवतावादी विचारधारा या ज्ञान को ध्यान में रखकर ही आज उनके जन्म दिवस को ज्ञान दिवस (knowledge day) के रूप में विश्वभर में मनाया जा रहा है। अतः कह सकते हैं कि दलित साहित्य शोषितों के जागृति का साहित्य है। दलितों के सबलीकरण का साहित्य है। मानवाधिकार की प्राप्ति का साहित्य है। शोषकों के सर्वनाश का साहित्य है। धूर्त, ठगी, स्वार्थी ब्राह्मणों के पर्दाफाश का साहित्य है।

■ ■

आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूरु-57006 मो.न. 09449638999

अधुनातन हिंदी उपन्यास साहित्य

संपादिका
डॉ. अरुणा हिरेमठ

तारनाथ शिक्षण संस्था,
लक्ष्मी वेंकटेश देसाई महाविद्यालय, रायचूर, कर्नाटक
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी
“अधुनातन हिन्दी कथा साहित्य”

दिनांक 18 मार्च 2017, शनिवार सुबह : 10.00 बजे

संपादक : डॉ.अरुणा हिरेमठ

सह संपादक : 1. डॉ.हाशम बेग मिर्जा
2. डॉ.दत्ता साकोळे
3. श्री.विजय महांतेश

परामर्श मंडल :

1. डॉ. एस्.एम्.खेणेद्
2. डॉ.मंजुनाथ एन्. अंबिग
3. डॉ. जर्जा काझी
4. डॉ. शौकत सय्यद
5. डॉ.परिमळा अंबेकर
6. डॉ.शहाबुद्दीन शेख
7. डॉ. कांबले अशोक
8. डॉ. ए.डी.शेरीकर
9. डॉ.मोहम्मद शाकिर षेख
10. डॉ. अशोक मर्डे

रूपनारायण सोनकर की प्रगतिवादी चेतना—‘सूअरदान’ के विशेष संदर्भ

डॉ. कांबले अशोक
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिन्दी विभाग,
कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय,
मुक्त गंगोत्री, मैसूर-570006
मो. 9449638999

आधुनिक कालीन दलित एवं प्रगतिवादी साहित्याकाश के देदिप्यमान तारे सम साहित्यकार श्री रूपनारायण सोनकर जी का जन्म 04 अप्रैल 1962 ई. को उत्तर प्रदेश के ग्राम नसेनिया, पोष्ट डिघरुआ, तहसील बिंदकी, जिला फतेहपुर में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बी.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियाँ प्राप्त कीं। इलाहाबाद हाइकोर्ट में वकालत के साथ ही साथ लेखन-कार्य में ये समर्पित हुए हैं, जिनका साहित्यिक संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—सोनकर जी के 27 नाटक तथा एक कहानी संकलन डायमंड पॉकेट बुक्स, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हैं जिनमें से ‘विषधर’ नाट्य संग्रह (12 नाटक) का लोकार्पण दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री-माननीया शीला दीक्षित जी ने 1999 ई. में किया था। ‘रहस्य’ नाट्य संग्रह का लोकार्पण पूर्व प्रधानमंत्री माननीय वी.पी. सिंहजी ने भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 2001 ई. में किया था। ‘एक दलित डिप्टी क्लैक्टर’ (नाटक), ‘छायावती’, ‘महानायक’ नाटकों का लोकार्पण विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रस्किट बॉण्ड द्वारा सन् 2003 ई. में किया गया। ‘जहरीले जड़े’ (2005-कहानी संग्रह), ‘समाज द्रोही’ (2006-नाटक), ‘नागफनी’ (2008-आत्मकथा) का लोकार्पण शीर्ष आलोचक प्रो. नामवर सिंह जी के करकमलों द्वारा किया गया। अंग्रेजी कथा संग्रह-‘प्वाइजनिस् रूट्स’ का लोकार्पण उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री एन.डी. तिवारी जी ने 2006 ई. में किया था। ‘डंक’ उपन्यास का विमोचन पद्मभूषण डॉ. विन्देश्वर द्वारा 2010 ई. में किया गया। इसी वर्ष प्रगतिवादी प्रसिद्ध उपन्यास ‘सूअरदान’ का प्रकाशन हुआ।

पुरस्कार एवं सम्मान

रूपनारायण सोनकर जी की साहित्यिक साधना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के पूर्व कमिश्नर तथा प्रमुख सचिव माननीय सुभाष कुमार जी I.A.S. ने ‘गौरव भारती’ पुरस्कार से 1997 ई. में पुरस्कृत किया। महामहिम पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश माननीय वी. सत्यनारायण रेड्डी जी द्वारा 1999 ई. में ‘हिन्दी गौरव’ से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीया शीला दीक्षित जी द्वारा ‘डॉ. आंबेडकर विशिष्ट सम्मान’ से गौरवान्वित किया गया। इसी भाँति ‘डॉ. आंबेडकर विशिष्ट उत्तराखंड सम्मान’ द्वारा उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल माननीय सुदर्शन अग्रवाल जी ने 2005 ई. में सम्मानित किया। 2004 में ‘नाट्य रत्न’ उपाधि से इन्होंने ही सोनकरजी को गौरवान्वित किया था। ‘साहित्य महोपाध्याय’ (डी.लिट.) की उपाधि तत्कालीन गवर्नर

— उत्तराखंड महामहिम माननीय सुरजीत सिंह बरनाला जी ने 2001 में प्रदान की। ये पुरस्कार एवं उपाधियाँ ही इनके द्वारा रचित ज्ञानवर्धक प्रगतिशील साहित्य के द्योतक हैं।

रूपनारायण सोनकरजी न केवल मशहूर वकील या प्रभावी लेखक हैं अपितु बहुमुखी प्रतिभासंपन्न अभिनेता भी हैं। इन्होंने अपने अभिनय से दूरदर्शन क्षेत्र में तथा फ़िल्मी दुनिया में अविस्मरणीय योगदान दिया है। ‘सपने व मंजिल’ टी.वी. सीरियल में चरित्र अभिनेता का तथा राष्ट्रभक्तिपरक फ़िल्म ‘अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों’, ‘ईट का जवाब पत्थर’ में चरित्र अभिनेता का प्रभावकारी रोल अदा किया है। ‘एक दलित डिप्टी क्लैक्टर’ तथा ‘समाज द्रोही’ नाटकों में आपने मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया है।

समाज के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति प्रेम, मानवतावादी विचार से ओत-प्रोत भावना रखकर कुप्रथाओं सहित अंधविश्वासों पर कुटाराघात करते हुए निर्भिक साहित्य सृजना करनेवाले प्रगतिशील साहित्यकार सोनकर जी के चर्चित उपन्यास ‘सूअरदान’ में परिलक्षित होनेवाली प्रगतिशील विचारधारा का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है—

रामचंद्र त्रिवेदी, सज्जन खटिक, घसीटे चमार और सलवंत यादव जैसे कि इनके नामों से ही पता चलता है कि ये चारों अलग-अलग जाति-धर्मीय थे, बावजूद इसके पक्के मानवतावादी। अतएव जाति-धर्म के बकवास बंधनों को तिलांजलि देकर निडरतापूर्वक मानवतावादी घनिष्ठ मित्रता निभा रहे थे। उनका परस्पर त्याग एवं बलिदान बेमिसाल था। इन अंतरंग मित्रों ने सनातन धर्म एवं जाति की अंधानुकरण युक्त कुप्रथाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने सुगम जीवन हेतु अत्यंत लाभदायक व्यापार (बिजनेस) ‘सूअर फार्म’ की स्थापना की जिसका लाभ चारों पार्टन समान रूप से लेते हैं।

रामचंद्र त्रिवेदी की डगमगाती हालत को इस पिगरी फार्म ने सँवारा था। सूअर-पालन को देखकर कट्टर ब्राह्मणवादी लोग कहते—“सूअर पालना मेहतरो का कार्य है। तू मेहतर बन गया है। तूने सदियों से ब्राह्मणों की चली आ रही श्रेष्ठता को चकनाचूर कर दिया है।” — पृ.सं. 9

रामचंद्र त्रिवेदी इन ब्राह्मणों की बातों की पर्वाह किये बगैर निडरतापूर्वक सीना तानकर आगे बढ़ा करते थे क्योंकि इस पिगरी फार्म के बिजनेस के कारण त्रिवेदी की आर्थिक परिस्थिति में काफ़ी सुधार हो चुका था। अन्यथा त्रिवेदी को भिक्षुक बनने विवश होना पड़ता। कट्टर ब्राह्मणवादी पुजारी दयाशंकर, रामचंद्र त्रिवेदी के इस बिजनेस तथा चाल-चलन से बहुत नाखुश है जिसे देखकर देवीदीन सचान उनसे कहता है—“क्यों परेशान होते हैं आप पुजारी जी। ईश्वर की सेवा में लीन रहिए। जो आदमी लाखों रूपये महीने कमा रहा हो वह पूजा पाठ करके क्या करेगा? समय क्यों बर्बाद करेगा? आप वर्षों से इस मंदिर के पुजारी हैं। पैसे के अभाव में आपकी जवान तीन बेटियाँ बैठी हैं। मंदिर के देवता आपको छप्पड़ फ़ाड़कर रूपये क्यों नहीं देते हैं?” — पृ.सं. 11

प्रत्युत्तर में सनातन ब्राह्मण पुजारी कहता है—“चाहे मेरी तीनों बेटियाँ जीवन भर कुंवारी रहें, मैं चाहे एक टाईम खाना खाऊँ, लेकिन ऐसा नीच व्यापार (सूअर फार्म) नहीं कर सकता हूँ।” —पृ.सं. 11

इस उपरोक्त परस्पर संवाद में एक ओर सनातनी ब्राह्मणवादी अंधविश्वास दृष्टिगोचर होता है तो दूसरी ओर यथार्थवादी दलित चेतना, जो कि प्रगतिपरक है।

इस ढोंगी ब्राह्मण पुजारी दयाशंकर का आचरण बिल्कुल घिनौना था, उसके कामुक व्यक्तित्व के दुष्परिणाम स्वरूप वेश्यागमन के कारण उसे एड्स जैसी भयानक जानलेवा विमारी का शिकार होना पड़ा। धन के अभाव में वह दयाशंकर पुजारी मृत्यु शैया पर लेटा था, महामानवतावादी चारों मित्रों ने अपने पैसों से उस जानलेवा बीमारी का, लाखों रूपये खर्च करके विदेश में इसका इलाज करके उसकी जान बचाई। पुजारी की तीन जवान बेटियाँ जो धन के अभाव में अविवाहित बैठी थीं, उनके साथ तीनों मित्रों ने शादी कर लेकर न केवल पिगरी फार्म का अपितु अपने जीवन का पार्टनर बनाकर पुजारी को भी पिगरी फार्म में नौकरी प्रदान कर गौरव के साथ जीवन यापन करने का सुअवसर प्रदान किया। परिणामतः दयाशंकर और उनकी बेटियाँ मानवतावादी बन गये।

सिंहासनखेड़ा का प्रधान सत्यनारायण त्रिपाठी ग्राम निवासियों पर जुल्म ढोनेवाला, ठगी दरिंदा था जिसने ग्राम विकास संबंधी सरकार से आबंटित धन-राशी को हड़प कर गाँववाले दलितों, निर्धन सवर्णों आदि का खूब शोषण किया करता था। दलित महिला पर अत्याचार करता है। जब दलित महिला सुनयना इसका प्रतिरोध करती है, तब बदमाश सत्यनारायण त्रिपाठी मूँछे ऐंठत हुए कहता है—“जो ताकतवर है वही सभी चीजों का भोग करता है। ऐसा सभी युगों में होता आया है। तुम सुंदर हो। अति सुंदर हो। मैं इस गाँव का राजा हूँ। हर चीज पर मेरा हक पहले है।” (पृ.सं. 31) वह आगे कहता है—“मैंने पंद्रह वर्षों के अपने ग्राम प्रधानी के कार्यकाल में पंद्रह मर्डर किए हैं। जो भी साला मेरे खिलाफ गया। मेरे खिलाफ गवाही दी। सभी का कत्ल कर दिया। मैं इस गाँव का शहनशाह हूँ।” (पृ.सं. 31) इस तरह डंराधमकाकर उन पर जुल्म ढाये देता है, जिसे देखकर इसके अत्याचार का दमन करने हेतु दलित संकटा प्रसाद चिकवा एम.ए. प्रशासनिक अधिकारी पद से वी.आर.एस. लेकर ग्राम विकास हेतु चुनाव में ग्राम प्रधान का उम्मीदवार बनकर अंततोगत्वा चुना जाता है और रिश्ततखोरी के खिलाफ तहकीकात का आदेश देता है, छुआछूत निर्मूलन का प्रभावकारी प्रयत्न आरंभ करता है। यथा—

स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन बनाने वाली दलित महिला होने के कारण सवर्ण लोग उस पर एतराज करते हुए उसे बदलने की बात करते हैं तभी संकटा प्रसाद चिकवा कहता है—“एस.सी./एस.टी. उत्पीड़न एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ एफ.आय.आर. दर्ज कराइए।”

दलित-गैर दलित, सभी बच्चे एक पंगत में बैठकर खाना खाएंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है बच्चों में शुरूआत में ही छोटे-बड़े, ऊँच-नीच, छुआछूत की भावना भरी जा रही है। ये सारी बातें समाप्त होनी चाहिए। वरना शेड्यूल्ड कास्ट्स/शेड्यूल्ड ट्राइब्स उत्पीड़न एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज होने पर लोगों की जमानत भी नहीं होगी। बच्चों को पढाइये। सभी मानव एक हैं, न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। न कोई उच्च जाति का है और न कोई नीच जाति का। सभी एक ही परमपिता की संतानें हैं।”-पृ. 48-49

इस तरह कहकर रिश्ततखोरी, छुआछूत जैसी घातक सामाजिक बिमारी के निर्मूलन की ओर निडरतापूर्वक संकटा प्रसाद चिकवा अग्रसह होता, तब बदमाश सत्यनारायण त्रिपाठी इमानदार संकटा प्रसाद चिकवा पर सुनयना पर बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाता है तब गर्भवती सुनयना एस.डी.एम. के सम्मुख अपना बयान देती हुई कहती है—“यह नाशपीटा त्रिपाठीवा हमार इज्जत लूटा रईस। यही हमार बच्चा का बाप है।” पृ. 55

सत्यनारायण त्रिपाठी की कोशिश थी कि संकटा प्रसाद चिकवा ग्राम प्रधान न बने। अतएव त्रिपाठी ने एक सप्ताह अनशन करने की घोषणा की साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि यदि ग्राम प्रधान चिकवा को नहीं हटाया गया तो सातवें दिन आत्मदाह होगा। तदनुसार ही आत्मदाह में त्रिपाठी का मुँह बुरी तरह से जल गया जिसके कारण वह भयानक कुरूप तथा विकलांग बन गया। मेहनती तथा इमानदार दलित संकटा प्रसाद चिकवा के ग्राम प्रधानी कार्यों से प्रभावित होकर स्वयं एस.डी.एम. ने कहा—“वास्तव में तुमने समस्त गाँव में पानी पीने के हैंड पंप, मौहल्ले-मौहल्ले में लगवा दिए। जर्जर स्कूल व स्वास्थ्य केंद्र को एक नया रूप दिया। वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं। सरकार तुम्हारे कार्यों से बहुत खुश है। तुम एक सच्चरित्र, काम के प्रति समर्पित अच्छे प्रशासक और इमानदार ग्राम प्रधान हो।” पृ.सं. 56

प्रत्युत्तर में संकटा प्रसाद चिकवा गाँववालों, एस.डी.एम. आदि से कहता है—“धन्यवाद! आप सबका जिसने मेरे प्रयासों को सराहा। मैं अपने गाँव को भारत का सबसे अच्छा आदर्श गाँव बनाने का प्रयास करूँगा।” पृ.सं. 57

समाज में व्याप्त जातिवाद का समूल निर्मूलन होना नितांत आवश्यक है। अतएव दयाशंकर पुजारी की तीनों बेटियों का कहना है—“आदमी जाति से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। जातिवाद, ऊँच-नीच की भावना समाज में एख कोढ़ की तरह है। यदि इसका इलाज न किया गया तो पूरा समाज रोगी बन जाएगा।” (पृ.सं. 83) मानवधर्म चारों मित्रों की परोपकारी भावना से प्रभावित होकर सवर्णों का मन इस भाँति परिवर्तित हुआ है।

स्वयं पुजारी भी ब्राह्मणों से कहता है—“जब मैं मर रहा था तब आप कहाँ थे? आप लोग मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे कि मेरे बाद आप इस मंदिर के पुजारी बन जाएं।

मेरा तो उद्धार सूअरों ने किया है। सूअरों का व्यापार करनेवाले इस गाँव के चार महापुरुषों ने किया है।” पृ.सं. 85 इस भाँति पिगरी फार्म ने न केवल पुजारी दयाशंकर का

या उनकी तीनों बेटियों का, या संकटा प्रसाद चिकवा का, या रामचंद्र त्रिवेदी की बहन सोहनी तथा छोटा भाई ज्ञान त्रिवेदी, इन्हें विदेश में पढ़ाकर या आत्म दहन में जले हुए बदमाश सत्यनारायण त्रिपाठी का इनके जले हुए कुरूप फेस की विदेश में प्लास्टिक सर्जरी करके उद्धार किया अपितु पूरे गांव के दलित एवं सवर्ण गरीबों को अपने पिगरी फार्म में यथा योग्यता नौकरी प्रदान कर पूरे गाँव एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में सुधार किया।

दलित मजदूर संतु का बेटा रतनलाल अपने कड़े परिश्रम से I.A.S. की परीक्षा पास करके डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, तत्पश्चात अपने गरीब माता-पिता, तथा अपनी अनपढ़ पत्नी अनुसूइया तथा नाबालिक (छ- वर्ष की) बेटी जानकी को छोड़कर अपने परिवार से नाता तोड़कर एक वरिष्ठ I.A.S. अधिकारी संता सिंह की एम.ए. पास बेटी रश्मिसिंह के साथ दूसरी शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी अनुसूइया और बेटी को अपने ससुराल अर्थात् अनुसूइया के मायके जाने के लिए कहता है। यहाँ तक कि धक्के देकर पत्नी और निरीह नाबालिका बेटी को घर से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही कुछ 10-12 वर्षों के बाद चाचा रामदीन कहता है—“बेटा, तुम कब तक अपने पति का इंतजार करोगी। वह कभी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम दूसरी शादी कर लो।” तब प्रत्युत्तर में पतिव्रता अनुसूइया कहती है—“चाचा, मैं मर जाऊँगी लेकिन दूसरी शादी नहीं करूँगी।” पृ.सं. 109 इस तरह कहकर इमानदारी एवं मेहनत के साथ अपने शील की रक्षा करती हुई जीवन व्यतीत करती है। वह ठाकुर चतुर सिंह के यहाँ मजदूरी करती थी। वह कामांध चतुर सिंह उस पर बलात्कार करने का प्रयास करता है जिसमें अनुसूइया अपने शील की रक्षा करती हुई उस कामी ठाकुर की हत्या करके अपने प्राण त्याग देती है। लावारिश बेटी जानकी विवश हो कालगर्ल बनती है। पुलिस दहाड़ में पकड़ी जाती है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। वह मैजिस्ट्रेट कोई और नहीं था, उसका क्रूर एवं अत्याचारी बाप था, जिसके सम्मुख वह अपने पिता का नाम बतलाना नहीं चाहती थी, किंतु उसे अपने पिता का नाम बतलाने के लिए विवश किया गया।

जब न्यायालय के जाँच-पड़ताल से तय होता है कि जानकी मैजिस्ट्रेट रतनलाल की पहली परित्यक्ता पत्नी की ही बेटी है, तब मैजिस्ट्रेट रतनलाल पर दूसरे न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी कर लेने के जुर्म में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-बी के अनुसार अपराधी रतनलाल को 5 वर्ष की सख्त सश्रम की सजा सुनाकर कारावास भेजा जाता है। अनाथ बेटी जानकी की देख-भाल (लालन-पालन) की जिम्मेदारी रतनलाल की मानवतावादी दूसरी पत्नी ममता की मूर्ति रश्मिसिंह लेती है और जानकी को खूब पढ़ाकर सेल्स टैक्स ऑफिसर बनाती है। इसी भाँति रतनलाल का छोटा भाई सतनलाल भी मैजिस्ट्रेट बन जाता है जिसका श्रेय पिगरी फार्म को जाता है जिसके मालिकों ने रतनलाल-सतनलाल के माता-पिता को अपने फार्म में नौकरी देकर इस पद पर पहुँचने योग्य बनाया। जेल की सजा की समाप्ति पश्चात् रतनलाल

कहानीकार का कहना है कि नेता बनने वाला होनहार युवक पारिवारिक झंझटों में उलझ जाता है। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माँ अन्धी हो जाती है। टी.बी. की शिकार बहन कराह रही है। इस प्रकार उसके समक्ष गहन आर्थिक चुनौतियाँ खड़ी होई गई। विवश होकर वह नेता मजदूरी करना प्रारंभ कर देता है क्योंकि वह अपनी माँ, बहन के दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है।

कथानक की परिधि में कथाकार ने अन्य कल्पना कर डाली। पहला दृष्टान्त एक ग्रामीण परिवार से आये युवक का था, जो मजदूरी करने पर विवश हुआ और दूसरा दृष्टान्त एक अभिजात्य वर्गीय युवक का है जो समस्त सुविधाओं के बीच बिगड़ जाता है। ऐसा कल्पित पुरुष कहता है कि —

‘तुमने अपनी कलम से पैदा किया है। ऐसा करो, वैसा करो। मानो मैं आदमी नहीं काठ का उल्लू है। सो बाबा ऐसी नेतागिरी मुझसे नहीं निभेगी। यह उम्र दुनिया की रंगीनी देखने का है। बिना उठाए जवानी क्यों बर्बाद की जाय।’

‘मैं हार गई’ कहानी आज के तथाकथित नेता पर व्यंग हैं स्वाधीनता के बाद देश को सही मार्ग पर ले जाने का ठेका आज का नेता ही लेता है। लंबे-चौड़े भाषण, बड़ी-बड़ी योजनाएँ, धारा सभाओं में उत्तेजनात्मक वक्तव्य आदि नेता के चरित्र के साथ देश व समाज के चरित्र का निर्माण करते हैं। मन्नू भंडारी ने दो अलग पृष्ठभूमि से युवकों का चुनाव किया। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया युवक सर्वप्रथम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को करना चाहता है। वह ग्रामीण संस्कृति को धवल व पतित मानता है। नैसर्गिक सबन्धों के प्रति उसे मन में राग है। वह अपने परिवार के प्रति बलिदान होने में गौरव अनुभव करता है। लेखिका ने बताया है कि ग्रामीण युवक अस्तित्व की रक्षा के लिए छोटा-बड़ा कोई काम करने पर तैयार रहता है।

‘मैं हार गई’ का अन्य बिन्दु एक ऐसे युवक की परिकल्पना है जो कुलीन वर्गीय है। एक कुलीन वर्गीय युवक आचारभ्रष्ट हो उठता है। सुरा-सुन्दरी ही उसके जीवन का अभिष्ट बन जाता है। मन्नू जी कहती है कि इस प्रकार दो किस्म के चरित्र हमारे समक्ष आते हैं — ग्रामीण तथा नगरीय। इन दोनों में परिस्थिति — सापेक्ष अन्तर होता है। दोनों ही अपने-अपने संस्कारों से बँधे हैं।

‘मैं हार गई’ कहानी का शीर्षक व्यंजनात्मक है। कथाकार ने बताया है कि स्वाधीनता के बाद देश की प्रगति और संरचना का विचार फीका पड़ता जा रहा है। स्वाधीनता संग्राम में जो आशाएँ और कल्पनाएँ थी वे अब दिखावा रह गई हैं। दिक्प्रमित युवा पीढ़ी, हताश, निराश, निर्धन पीढ़ी की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। देश-समाज का भविष्य दाँव पर लगा हुआ है। कथाकार ने प्रस्तुत कहानी के माध्यम से एक सामाजिक प्रश्न उठाया है कि देश के नवनिर्माण में हमारी हिस्सेदारी क्या होगी। कविसम्मेलन का किया गया व्यंग किसी नेता की वास्तविक छबी को उकेरता है। मन्नू जी ने अभिव सृष्टि के प्रयोग से देखा की आने वाली पीढ़ी उतना ही नपुंसक होती जा रही है। ऐसी स्थिति में उसे पराजय बोध होता है। एक कलाकार सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् की सृष्टि नहीं कर पाता और आन्त में कह बैठता है कि— ‘मैं समस्या का समाधान नहीं पा सकी’।

‘मैं हार गई’ कहानी पाठक को अभिभूत कर देती है, जहाँ उसे विदित होता है कि आज की सन्तति का पुरुषार्थ बेमानी होता जा रहा है। सम्पन्नता और विपन्नता दोनों ही स्थितियाँ समाज में विसंगति पैदा कर रही हैं। प्रस्तुत कहानी सामाजिक परिवेश की अनुभूति को लेकर लिखी गई है। इसका परोक्ष प्रभाव बुद्धिजीवियों पर विशेष है क्योंकि आधुनिक

नवनिर्माण में तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग ही दौड़ रहा है। प्रस्तुत कहानी संकेत करती है कि लोकतांत्रिक भविष्य को सुनिश्चित होने के लिए चरित्र निर्माण एवं आत्मविश्वास की सख्त जरूरत है।

संदर्भ :-

- 1) कथान्तर - परमानन्द श्रीवास्तव
- 2) आधुनिक कहानियाँ - शर्मा एस.
- 3) मेरी प्रिय कहानियाँ - मंजुल भगत